न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियांपीठासीन
अधिकारी:– राजकेश मीणा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 315/2022

प्रार्थी:– कपिल पुत्र श्री भंवरलाल, जाति माहेश्वरी, गांधी, निवासी घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर, हाल निवासी सूरत।

बनाम

अप्रार्थी:–

श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक:–10/11/2022

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि:– तहसील ओसियां के ग्राम ओसियां की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1605/2 रकबा 1.6268 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1605 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा में से विक्रेता हरीसिंह के 1/2 हिस्से 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रार्थी की दादी श्रीमति पतासीदेवी पत्नी श्री झूमरलाल द्वारा खरीद की गई जिसके बेचान नामा में बेचान सुदा भूमि के पड़ौस अंकित है तथा इसी पड़ौस अनुसार क्रेता पतासीदेवी को कब्जा सुपुर्द किया गया था इसके बाद सभी खातेदारान श्रीमति पतासी पत्नी श्री झूमरलाल जी, श्रीमति सन्तोष पत्नी श्री श्याम सुन्दर व जयप्रकाश पुत्र श्री देवीचन्द द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किया गया तथा विभाजन के साथ संलग्न नजरी नक्षा संलग्न किया गया जो मौके पर कब्जा काष्त अनुसार बनाया गया। जिसमें खसरा नम्बर 1605 की भूमि में पच्छिमी तरफ खसरा नम्बर 1605 इसके पूर्वी तरफ 1605/1 व इसके पूर्वी तरफ 1605/2 की भूमि रखी गई थी। श्रीमति पतासी देवी द्वारा उक्त भूमि बख्सीस कर रखी है तथा वर्तमान प्रार्थी व अन्य खातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। तथा मौके पर पूर्व में किये गये विभाजन व बेचान नामा में अंकित पड़ौस अनुसार कब्जा काष्त चला आ रहा है परन्तु वर्तमान में सेग्रीगेशन के तहत ऑनलाईन नक्शे में तरमीम करते वक्त प्रार्थी की भूमि की तरमीम मौके पर कब्जे काष्त व बंटवाड़े के साथ संलग्न नजरी नक्शे के विपरीत कर दी गई जबकि मौके पर कब्जे काष्त अनुसार नक्शे में तरमीम करनी थी। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि की मौके पर कब्जे काष्त के विपरीत तरमीम हो रखी है जिस कारण प्रार्थी को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी की भूमि की मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्ध की जानी न्यायहित में आवश्यक है।अत: प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि तहसील ओसियां के ग्राम ओसियां में स्थित प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काष्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1605/2 रकबा 1.6268 हैक्टेयर बाबत् ऑनलाईन नक्शे में की गई गलत तरमीम के स्थान पर मौके पर कब्जे काष्त व बंटवाड़े के साथ संलग्न नजरी नक्शे व बेचान नामा में वर्णित पड़ौस अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश सादिर फरमावें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

ओसियां के ग्राम ओसियां में स्थित प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि खसरा नम्बर 1605/2 रकबा 1.6268 हैक्टेयर बाबत् ऑनलाईन नक्शे में की गई गलत तरमीम के स्थान पर मौके पर कब्जे काश्त व बंटवाड़े के साथ संलग्न नजरी नक्शे व बेचान नामा में वर्णित पड़ौस अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश सादिर फरमावें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। ऑनलाईन नक्शे में की गई तरमीम मौके व पूर्व में किये गये बंटवाड़ा के साथ संलग्न नजरी नक्शे व बेचान नामा में अंकित पड़ौस से भिन्न प्रतीत होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ओसियां के खसरा नम्बर 1605/2 रकबा 1.6268 हैक्टेयर बाबत् ऑनलाईन नक्शे में की गई गलत तरमीम के स्थान पर मौके पर तहसीलदार रिपोर्ट में वर्णित एवं अभिशंषा किए गए अनुसार तरमीम दुरूस्ती के आदेश दिए जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 10/11/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with OKEN Scanner